संख्या-13/2019/320/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2019**

विषय-लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)'' योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2019 संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5-2019-सा-01/2019 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त के क्रम में समस्त जनपदों में तत्परता से कार्य हुआ है एवं दिनांक 24 फरवरी, 2019 को मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना का गोरखपुर से शुभारम्भ भी किया जा चुका है। प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक भारत सरकार के पीएम-किसान पोर्टल पर 01 करोड़ 10 लाख से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों का विवरण अपलोड किया जा चुका हैं।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 02 मार्च, 2019 तक प्रत्येक दशा में समस्त परिवारों की डेटा इंट्री करवाते हुए मुख्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ समयान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हो सके।

3- खतौनी के आधार पर गाइड लाइन्स के अनुसार पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों की गणना करते हुए उसे उस राजस्व ग्राम के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाए एवं इस लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए।

4- प्राप्त परिवारों का विवरण मुख्यालय को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उस परिवार के किसी वयस्क सदस्य के द्वारा घोषणा पत्र भरा जा चुका है। कुछ जनपदों से कतिपय ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं, जिनमें पात्र घोषित किए गए लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने कोई घोषणा पत्र नहीं दिया है तथा वे इस योजना में लाभ पाने हेतु पात्र नहीं है। इस प्रकार की विसंगति को शासन के द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा।

5- भारत सरकार के द्वारा पहली किश्त का 0.25 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में दिया जा रहा है अर्थात प्रत्येक ऐसे पात्र लघु एवं सीमान्त परिवार जिसके खाते में रूपए 2 हजार प्रथम किश्त स्थानान्तरित होगी, के लिए 5 रूपए प्रति पात्र परिवार की दर से प्रशासनिक व्यय हेतु भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उक्त 5 रूपए में से 50 पैसे प्रदेश मुख्यालय पर होने वाले प्रशासनिक व्यय एवं मण्डल मुख्यालय को दी जाने वाली राशि के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा शेष 4 रूपए 50 पैसे प्रति पात्र परिवार जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी धनराशि के विरूद्ध रूपए 50 हजार प्रति विकास खण्ड की दर से जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं इसका समायोजन करते हुए शेष धनराशि बाद में उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रशासनिक व्यय में दी गयी धनराशि से सर्वप्रथम आउट सोर्सिंग के माध्यम से करायी गयी डेटा इन्ट्री, स्टेशनरी एवं कार्टिज पर हुआ व्यय, तहसील स्तरीय कार्यक्रम तथा अन्य किसी अत्यावश्यक प्रशासनिक व्यय का वहन सबसे पहले किया जाएगा। इसके पश्चात् शेष रही धनराशि पीएम-किसान सम्मान निधि के लिए आंकड़े एकत्र करने एवं प्रोसेसिंग करने में लगाए गए कर्मचारियों को जिलाधिकारी के द्वारा स्वविवेक से प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2019/320(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-1-1/2019/क्रेडिट.1 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
11- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
13- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in